न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./102/2017/जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 02/2011 बनवान अमरसिंह वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017।

अपीलांट

1. अमरसिंह पुत्र कालूसिंह उम्र 70 साल।
2. नखतसिंह पुत्र कालूसिंह उम्र 55 साल।
3. स्व0 कल्याणसिंह पुत्र कालूसिंह के वारिसान :–

3/1 मांगू कंवर बेवा

कल्याणसिंह उम्र 50 साल

3/2 देरावरसिंह पुत्र स्व0

कल्याणसिंह उम्र 20 साल

3/3 शोभसिंह पुत्र स्व.

कल्याणसिंह उम्र 12 साल

3/4 छोटूसिंह पुत्र स्व

कल्याणसिंह अवयस्क उम्र 12

साल जरिए कुदरती वली

माता मु.मांगु कंवर जातियान

राजपूत निवासीयान कोहरा

तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान सरकार जरिये

1.श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर
2.श्रीमान तहसीलदार, फतेहगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री बसरी मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 14.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वक्त समरी बन्दोबश्त नक्शा नहीं था, नियमित भू बन्दोबश्त में नक्शा तैयार किये गये। जो समरी बन्दोबस्त के खेत खसरा संख्या 11 रकबा 115.00 बीघा के नवीन खसरा संख्या 482, 482/591, 484,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

484/590, 423 रकबा क्रमश 48.11, 4.00, 17.08, 3.00, 00.09 बीघा कुल 73.08 बीघा कमी 41.12 बीघा, समरी खसरा संख्या 12 रकबा 46.00 बीघा के नवीन खसरा संख्या 81 रकबा 11.09 कमी 34.11 बीघा, इस प्रकार वादीगण के दानों खेतों में कमी 76.03 बीघा जो उक्त खातेदारी खेतों से उतर कब्जा अनुसार खसरा संख्या 203 में मिला दिया तथा सैटलमेंट विभाग वालों ने अपीलांट/वादीगण के पिता को आश्वत किया कि उक्त वादग्रस्त खसरा उनकी खातेदारी में इन्द्राज कर देगें। उनके फौत होने के बाद अपीलांट/वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 203 पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुए कब्जा हटाने एवं खडी फसल को कुर्क कर बेदखल की धमकियां देने पर वादीगण द्वारा धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अर्जेन्ट नेचर का वाद होने से धारा 80 सी0पी0सी का नोटिस न देकर उक्त खसरा संख्या 203 रकबा 76.03 बीघा ग्राम कोहरा खातेदारी में घोषित करने बाबत् वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वादीगण के पूर्वजों के नाम वक्त समरी में खातेदारी में दर्ज रही है। भू–प्रबंध विभाग वालों ने भूमि कम कर दी , जिसे अपीलांट/वादीगण खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की साक्ष्य में एक मात्र गवाह पटवारी हल्का के ब्यान करवाये गये हैं लेकिन पटवारी हल्का समरी सैटलमेंट का रेकर्ड उसके पास नहीं होना जाहिर किया जबकि उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे में वक्त समरी बन्दोबश्त से आज तक चली आ रही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि जैसलमेर जिले में समरी सैटलमेंट अन्दाजिया था भू–प्रबन्ध विभाग ने जब नाप–जोख की तब जो व्यक्ति जितने रकबे पर काबिज था उसकी खातेदारी जारी कर दी गई और शेष भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में भी जितने रकबे पर काबिज था उतनी यानी कि जो समरी बन्दोबस्त के खेत खसरा संख्या 11 रकबा 115.00 बीघा के नवीन खसरा संख्या 482, 482/591, 484, 484/590, 423 रकबा क्रमश 48.11, 4.00, 17.08, 3.00, 00.09 बीघा कुल 73.08 बीघा कमी 41.12 बीघा, समरी खसरा संख्या 12 रकबा 46.00 बीघा के नवीन खसरा संख्या 81 रकबा 11.09 कमी 34.11

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बीघा कुल कमी 76.03 बीघा सिवायचक इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि अपीलांट/वादी का मौके पर निरंतर कब्जा काश्त नहीं था बाद के वर्षों में कभी कभार व अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था और अतिक्रमी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.05.2017 को कैम्प अड़बाला में निर्णित किया गया था जिसकी उन्हे कोई जानकारी नहीं थी ओर अपीलांट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय बाबत कोई सूचना नहीं दी थी और दिनांक 21.07.2017 को संपर्क करने पर उक्त निर्णय की अपीलांट को प्रथम बार जानकारी हुई थी ओर उसी रोज नकलों हेतु कार्यवाही की गई थी। जानकारी के अनुसार अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अतः वकील अपीलांट के कथनों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना उचित होगा। अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में समरी के खसरा संख्या 11 व 12 रकबा 115 बीघा व 46 बीघा अंकित किया है परन्तु अपील मीमों में कहीं 11 व 112 कहीं 12 कहीं 11 व 72 तो कहीं पर खसरा संख्या 111, 112 अंकित किया है जो विरोधाभासी एवं कल्पना पर आधारित है। रिकॉर्ड पर भी अपीलांटगण का दावाकृत भूमि पर कभी कोई अनाधिकृत कब्जा खसरा परिवर्तनशील इत्यादि राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित नहीं होता है। न ही वाद में अपीलांट/वादीगण यह पुख्ता रूप से प्रमाणित कर पाए है कि समरी के वक्त दर्ज भूमि में हुई कमी का रकबा खसरा संख्या 203 में समाहित हो गया है पर्चा लगान (पदर्श–2) में अंकित खसरा संख्या का सही–सही अंकन अपील मीमो में नही कर भिन्न खसरा संख्या एवं रकबा अंकित किया है जो अपील को आधारहीन करार देने के लिए पर्याप्त है। नक्शा लट्ठा ट्रेस ग्राम कोहरा दिनांक 27.10.2010 (प्रदर्श–6) के अवलोकन से भी दावाकृत खसरा संख्या 203 उनके खातेदारी खसरा से कही भी निकटता नहीं दर्शाते है। कमी होने वाला रकबा 76.03 बीघा दावाकृत खसरा संख्या 203 रकबा 61.09 बीघा से अधिक है इसलिए अपीलांटगण का कथन मान्य नहीं किया जा सकता।

गवाह नखतसिंह के शपथ–पत्र पर बयान पृथक–पृथक स्याही से पृथक–पृथक लिखावट में कहीं–कहीं कांट–छांट करके अंकित किये है। उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर दावे में तथा शपथ–पत्र में स्पष्ट रूप से भिन्न है। व जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि खसरा संख्या 81 किस खसरे से बना है मुझे याद नहीं "खसरा संख्या 204/647 को अपनी खातेदारी भूमि कथित करते खसरा संख्या 203 के पास होना बताता है परन्तु अपनी खातेदारी संबंधी कोई जमाबंदी रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नही है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि मेरे किसी प्रकार की T.P. दर्ज नही है। गवाह उम्मेदसिंह एवं मघाराम द्वारा दिये गए बयानों में दावाकृत खसरा संख्या 203 का रकबा भिन्न–भिन्न अर्थात 76.03 बीघा तथा 61.09 बीघा (कांट–छांट सहित) उल्लिखित किया है। उक्त तमाम बाते अपीलांट/वादीगण के वाद को कपोल कल्पित एवं तथ्यहीन साबित करने के लिए पर्याप्त है। अतः इन तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2011 बनवान अमरसिंह वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

14/3/19

(जसवन्त बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner